माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

R 777-III/08

प्रसाद
पूरन तनय बाल गोविन्द जायसवाल निवासी ग्राम झारा
तहसील देवसर जिला सिगरौली मध्य प्रदेश.................आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन..अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय अपर आयुक्त रीवा
संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक ४६७/निगरानी/०५-०६
निर्णय दिनांक २२-४-२००८ अपर स्वमेव निगरानी
अपर कलेक्टर बैढ़न अन्तर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश
भू राजस्व संहिता १९५९ अंतर्गत म०प्र० कृषक प्रयोजन के लिये उपभोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय (विशेष उपबंध) अधिनियम १९८४

मूल आवेदक की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत की जा रही है :

१- यह की प्रकरण का सूक्ष्म विवरण इस प्रकार है कि आवेदक एक भूमिहीन कृषक है जिसने नायब तहसीलदार देवसर के न्यायालय में पिता, चाचा एवं बाद में अपने कब्जे की भूमि क्रमांक शासकीय २४०५/०.२०-२४१३/०.१४-२४१८/०.०७ व २४३५/०.१२ के पट्टा प्रदाय हेतु मध्य प्रदेश दखल रहित भूमि विशेष उपबन्ध अधिनियम १९८४ के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद जाँच पट्टा दिनांक ७-१२-२००२ को नायब तहसीलदार देवसर द्वारा प्रदान किया गया । आवेदक उसके पिता व चाचा वर्ष १९८०X८१ से इन भूमियों पर काबिज चले आ रहे है । जैसा कि अनुविभागीय पदाधिकारी ने अपने निर्णय में ही माना है ।

२- यह कि पट्टे को राजस्व अभिलेखो में प्रविष्टि भी हो गई और चार वर्ष तक अनावेदक अनवरत कृषि कार्य भी करता रहा । इस बीच उक्त आराजियात में ही आवेदक अपना रहायसी मकान बना कर रह रहा है तथा काफी मिट्टी डाल कर कई मेड़ भी कीमती करीबन २५,०००/- की बना चुका है ।

३- यह की चार वर्ष बाद तहसीलदार की रिपोर्ट पर अपर कलेक्टर बैढ़न ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर प्रदान किया गया पट्टा निरस्त

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाविवक्ता, ग्वालियर

(सुधांशु कुमार शर्मा)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–सिंगरौली

मामला क्र0–R..777–III / 08

पूरन प्रसाद जायसवाल / शासन (म0प्र0)

(1)	(2)	(3)
01.02.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	